

सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना की तैयारी की समीक्षा संबंधी

वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण (दिनांक 06.10.2025)

सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में आयुक्त सह प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के द्वारा प्रदेश के समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्रियों तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 06-10-2025 को अपराह्न 02:00 बजे से भावांतर भुगतान योजना की तैयारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर प्रबंध संचालक, अपर संचालक, अधीक्षण यंत्री, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे।

सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत कृषकों के पंजीयन की अवधि 03 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक नियत है तथा 24 अक्टूबर 2025 से योजना प्रारंभ होगी। योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्यालय से जारी किये जा चुके हैं। बैठक में सर्वप्रथम प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की विस्तृत प्रक्रिया से अवगत कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(1) मंडी प्रांगण में योजना की प्रक्रिया के सामान्य निर्देश:-

योजनांतर्गत सोयाबीन उपज का विक्रय पंजीकृत कृषक/नॉमिनी द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें नॉमिनी को वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई-उपार्जन पोर्टल एवं ई-मंडी पोर्टल के इंटीग्रेशन से पंजीकृत कृषकों की जानकारी ई-मंडी पोर्टल पर प्राप्त होगी। प्रवेश पर्ची, अनुबंध पत्रक, तौल पर्ची, भुगतान पत्रक पर संबंधित कृषक का पंजीयन क्रमांक अंकित होगा। व्यापारियों द्वारा कृषकों को विक्रय मूल्य का भुगतान अनिवार्यतः ऑनलाइन / RTGS - NEFT के माध्यम से किया जाएगा। मंडी प्रांगण में संपन्न विक्रय संव्यवहार ई-मंडी पोर्टल पर Real Time में दर्ज होगा। योजना का लाभ केवल मंडी/उपमंडी प्रांगण में विक्रय पर ही प्राप्त होगा, एमपी फार्मगेट एप/सौदा पत्रक के संव्यवहारों पर योजनांतर्गत लाभ देय नहीं होगा।

(2) योजनांतर्गत मंडी समिति से अपेक्षाएं:-

मंडी के प्रवेश द्वार से जारी प्रवेश पर्ची जारी करते समय योजनांतर्गत पंजीकृत कृषकों का डाटा ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से fetch हो जाएगा। प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी से सतत निगरानी की जाए, जिसकी रिकॉर्डिंग का विधिवत संधारण किया जाए। योजनांतर्गत पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत कृषकों में किसी भी प्रकार का भेद किए बिना प्रवेश द्वार से जारी प्रवेश क्रमांक के अनुसार प्रांगण में वाहनों का प्रवेश कराते हुए नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया कराई जाए, उक्त प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए एवं रिकॉर्डिंग विधिवत संधारित की जाए। नीलामी में भाव तय होने एवं तौल होने के उपरांत संबंधित क्रेता व्यापारी से भुगतान पत्रक की प्रविष्टि तथा ऑनलाइन / RTGS-NEFT के माध्यम से संपूर्ण भुगतान अनिवार्य रूप से कराया जाए। ऑनलाइन भुगतान का समय-समय पर व्यापारी से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर मिलान

अनिवार्यतः कराया जाए। मंडी प्रांगण में साफ-सफाई एवं आवश्यकतानुसार कृषक सुविधाएं दुरुस्त रखी जाए। प्रतिदिन प्रवेश द्वार, नोटिस बोर्ड एवं डिजिटल बोर्ड पर अनिवार्य रूप से मॉडल रेट का डिस्प्ले किया जाए। कृषकों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क निरंतर संचालित की जाकर योजना की जानकारी प्रसारित की जाए। प्रातः 08 बजे से सायं 08 बजे तक कंट्रोल रूम का संचालन करते हुए समस्या का 24 घंटे की अवधि में निराकरण किया जाए। अतः मंडी में मॉडिशचर मीटर एवं अन्य गेडिंग उपकरण चालू अवस्था में रखे जाए। FAQ / सैंपल रखने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित कराई जाए।

उपमंडी प्रांगण के संबंध में अपेक्षाएं:- उपमंडी प्रांगण में साफ-सफाई एवं आवश्यक कृषक सुविधाएं दुरुस्त की जाए। उपमंडी प्रांगण के विक्रय संव्यवहार, मंडी प्रांगण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। आंचलिक अधिकारियों के माध्यम से संकलित की गई लगभग 80 उपमंडी प्रांगणों में सोयाबीन उपज की आवक की संभावना है, ऐसे उपमंडी प्रांगणों की ई-मंडी पोर्टल पर मैपिंग की कार्यवाही कराई जा रही है। ई-मंडी हेतु उपमंडी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर एवं हार्डवेयर सामग्री की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जावे। साथ ही प्रवेश द्वार पर एवं नीलामी स्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए एवं Wi-Fi Zone बनाया जाए ताकि इंटरनेट संबंधी किसी प्रकार की समस्या न हो तथा विपणन प्रक्रिया सतत जारी रहे। आवश्यक हार्डवेयर, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मुख्य मंडी से उपलब्ध कराया जाए, तथा क्रय किया जाना आवश्यक हो तो क्रय नियमानुसार किया जाए। उपमंडी प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक तौल की व्यवस्था एवं सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

(3) समीक्षा/निरीक्षण/अनुश्रवण:-

विगत दिवसों के मॉडल रेट के आधार पर भावों की नियमित समीक्षा की जाए। भावों में कमी को गंभीरता से लिया जाकर, नीलामी रोककर, संबंधित व्यापारियों से चर्चा उपरांत नीलामी कार्य पुनः प्रारंभ कराया जाए। व्यापारियों के द्वारा कार्टेल बनाकर भाव कम नहीं किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। व्यापारियों के पोर्टल पर स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग की जाकर, समय-समय पर सत्यापन भी कराया जाए। प्रसंस्करण संयंत्रों की भी दैनिक आधार पर क्रय तथा प्रसंस्करण की मॉनिटरिंग की जाए। मंडी स्तर से नियमित रूप से निरीक्षण कार्यवाही भी संचालित की जाए। सीमावर्ती जिलों में राजस्व विभाग/जिला प्रशासन के स्तर से प्रदेश में आवक की निगरानी सुनिश्चित कराई जाए।

(4) चेकलिस्ट एवं समयसीमा का निर्धारण:-

योजना के सुचारु संचालन के लिए चेकलिस्ट एवं समयसीमा का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से की जाने वाली कार्यवाहियों की सूची एवं निर्धारित समयसीमा से अवगत कराया गया। आंचलिक अधिकारी, भारसाधक अधिकारी / सचिव, समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। समय-सीमा निर्धारण के संबंध में पृथक से दिशानिर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। की जा रही कार्यवाहियों से PRO को नियमित रूप से अवगत कराया जाए जिससे योजना सकारात्मक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके।

(6) आंचलिक अधिकारियों का दायित्व निर्धारण:-

आंचलिक अधिकारी, संभाग अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी हैं। आंचलिक अधिकारी, प्रत्येक स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे।

समय-समय पर मंडियों का निरीक्षण करेंगे। शिकायतों का 24 घंटे की अवधि में निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर, आंचलिक अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत आदेश जारी कर सकेंगे। आंचलिक कार्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक संचालित किये जाए, आवश्यकता अनुसार कंट्रोल रूम उक्त अवधि बाह्य भी अतवा 24 घंटों तक भी संचालित रखा जाएगा। समय-समय पर जारी निर्देशों के संबंध में PRO को अवगत कराया जाए।

(7) ई-मंडी पोर्टल पर कराई जा रही व्यवस्थाएं:-

प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ई-मंडी पोर्टल पर कराई जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया है। पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान हो जाने के उपरांत, पोर्टल पर कराई गई व्यवस्था, उपलब्ध रिपोर्ट्स एवं अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में पृथक से निर्देशों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

विस्तृत चर्चा उपरांत दिए गए निर्देश -

प्रेजेंटेशन समाप्ति उपरांत अपर प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप पूरी व्यवस्था को 04 भागों में विभाजित करें:-

(A) लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्था:-

योजना के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक संसाधन आंकलित व्यवस्थाएं कर ली जाए। संसाधन स्वयं के स्तर से क्रय किए जा सकते हैं, तो नियमानुसार तत्काल क्रय कर लिए जाए। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होने पर अविलंब अनुमति प्राप्त कर व्यवस्था की जाए।

(B) मानव संसाधनों की व्यवस्था:-

योजना के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक कार्य हेतु (प्रवेश द्वार, ट्रालियों की प्रांगण में पार्किंग, नीलामी प्रक्रिया, तौल, भुगतान, तकनीकी कार्य, कार्यालय का संचालन एवं सुरक्षा गार्ड आदि) मंडियों में आवश्यक मानव संसाधनों का अनुमान लगाया जाकर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए। मानव संसाधनों की अनुपलब्धता होने पर आंचलिक अधिकारियों के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

(C) समन्वय स्थापित करना:-

योजना के क्रियान्वयन हेतु जन प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन, किसान संगठनों, किसानों, पत्रकार, व्यापारियों, साफ-सफाई हेतु स्थानीय निकायों, जनसंपर्क अधिकारियों एवं आवश्यकतानुरूप अन्य सहयोगी संस्थाओं/व्यक्तियों आदि से कुशलता पूर्वक समन्वय स्थापित किया जाए।

(D) मंडी की नियमित प्रक्रिया का संचालन:-

भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ ही मंडी/ उपमंडी में नियमित विपणन प्रक्रिया को भी निर्बाध रूप से संचालन किया जाए। इसके लिए विस्तृत

आदेश जारी किया जाए, जिसमें प्रवेश द्वार, नीलामी प्रक्रिया, तौल व्यवस्था, भुगतान व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालयीन व्यवस्था आदि के लिए कर्मचारियों की व्यक्तिशः जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जाए।

योजना के संबंध में सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं आयुक्त सह प्रबंध संचालक द्वारा दिए गए निर्देश:-

योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सोयाबीन की सर्वाधिक आवक की संभावना वाली मंडी समितियों के सचिव क्रमशः शाजापुर, शुजालपुर, आगर मालवा, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच, इंदौर, सांवेर, धार, खंडवा, इटारसी, बानापुरा, बैतूल, हरदा, सीहोर, आष्टा, राजगढ़, सारंगपुर से मंडी में अब तक की गई तैयारियों की चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिए गए:-

- नीलामी के दौरान आने वाली समस्याओं हेतु ऐसे कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई जाए जिनका दिन-प्रतिदिन किसानों एवं व्यापारियों से संवाद होता हो, जिससे स्थानीय शिकायतों / समस्याओं का निराकरण हो सके एवं अनावश्यक शिकायतें न हों। यह भी ध्यान रखा जाए योजना में पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत कृषकों में मंडी प्रांगण में भेद न किया जाए एवं प्रवेश क्रमांक के आधार पर संपूर्ण विपणन प्रक्रिया संपादित कराई जाए।
- योजना के संचालन के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से पंजीयन की समयावधि, संचालन की समयावधि, मॉडल रेट, अनिवार्य ऑनलाईन भुगतान/ RTGS-NEFT से भुगतान, FAQ गुणवत्ता, उपज का प्रांगण में ही विक्रय पर ही लाभ देय होना एवं अन्य समस्त जानकारीयों से कृषकों को अवगत कराया जाए ताकि किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति न बने।
- योजना अंतर्गत अनिवार्य ऑनलाईन भुगतान/ RTGS-NEFT से भुगतान आवश्यक होगा। अतः व्यापारियों से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर भुगतान का मिलान आवश्यक रूप से किया जाए।
- मंडियों में एवं आंचलिक कार्यालयों में कंट्रोल रूम प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक नियमित रूप से संचालित किए जाए एवं आवक बढ़ने पर आवश्यकता होने की दशा में समय बढ़ा दिया जाए।
- मॉडल रेट का निर्धारण प्रतिदिन होगा। अतः मॉडल रेट का प्रदर्शन प्रवेश द्वार, डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर किया जावे, जो सहज दृष्टिगोचर हो।
- योजनांतर्गत मंडी में समस्त कार्यवाहियों के लिए चेकलिस्ट एवं टाईमलाइन निर्धारित की गई है। अतः समस्त आंचलिक अधिकारियों एवं सचिवों को निर्देशित किया गया कि चेकलिस्ट अनुसार आगामी दिनांक 13.10.2025 तक मंडी / उपमंडी की समस्त व्यवस्थाओं का अवलोकन कर लिया जावे। अवलोकन पश्चात डाई रन भी करा लिया जावे। बिंदुवार व्यवस्थाओं हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है, अतः समय-सीमा में संपूर्ण कार्यवाहियां करा ली जावें। कोई भी बिंदु न छूटे ताकि योजना का सरलता एवं सुचारु रूप से संचालन हो सके।

- योजना के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय स्तर से वित्तीय व्यवस्थाओं एवं ऑडिट कार्य हेतु श्री आर. आर. अहिरवार, अपर संचालक (वित्त), योजना से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग, भावांतर भुगतान योजना शाखा के समस्त कार्य हेतु सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक, आईटी/एमआईएस एवं प्रचार प्रसार मीडिया हेतु श्री योगेश नागले, सचिव आदेशित किया गया है। अतः आवश्यकता होने पर मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- योजना के संबंध में कृषकों के मध्य व्याप्त भ्रांतियों को दूर करें, यह जिम्मेवारी भारसाधक अधिकारी / सचिव की होगी। मंडी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व भारसाधक अधिकारी को दिए जाने के संबंध में मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देशों का संबंधित भारसाधक अधिकारियों को आवश्यक रूप से अवलोकन कराया जाए।
- प्रवेश द्वार से लेकर संपूर्ण प्रांगण में स्थापित सीसीटीवी चालू अवस्था में होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं रिकॉर्डिंग संधारण के लिए हार्डडिस्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर रिकॉर्डिंग होना चाहिए साथ ही उक्त रिकॉर्डिंग का बैकअप आवश्यक रूप से होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि कैमरा किसी भी स्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। कैमरा बंद होना पर कार्यवाही की जाएगी, यह अक्षम्य है।
- कार्टेल बनाते हुए कृत्रिम रूप से उपज का भाव कम करने की स्थिति में सर्वप्रथम नीलामी रोकी जाए, तदुपरांत व्यापारियों से चर्चा की जाए। मॉडल रेट कम होने पर वास्तविकता ज्ञात की जाए। उपज FAQ है या नहीं इसके लिए सैंपल लिया जाकर तत्काल परीक्षण कराया जाए। उक्त प्रक्रिया वर्तमान से ही प्रारंभ करें एवं भाव कम होने पर सैंपल लेकर परीक्षण करावें एवं जानबूझकर भाव कम करने वाले व्यापारी को पहले समझाइश देवे एवं पुनरावृत्ति होने पर तत्काल सख्ती से कार्यवाही करें।
- जिन मंडी क्षेत्रों में सोयाबीन प्लांट स्थापित हैं, उनमें प्रतिदिन प्लांट के भाव एवं मंडी प्रांगण के भाव की तुलना करते हुए मंडी व्यापारियों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए कृषकों को युक्तियुक्त मूल्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाए।
- समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उप मंडी प्रांगणों में इलेक्ट्रॉनिक तौल के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए।
- योजना के संचालन के दौरान मंडी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली अनावश्यक शिकायतों का निराकरण अविलंब किया जाएगा।
- जिला प्रशासन को योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा दिया गया है। हर छोटी-बड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु समस्या जिला कलेक्टर के संज्ञान में लेकर आए। आपके स्तर पर निराकरण न होने की स्थिति में मुख्यालय स्तर पर अविलंब अवगत कराए।

- योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय से समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रेजेंटेशन को समस्त मंडी सचिव स्वयं अक्षरशः पढ़ें एवं आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं बनाएं। भारसाधक अधिकारियों के संज्ञान में भी लाएं एवं सहयोग न मिलने की स्थिति में अवगत कराएं।
- वर्ष 2017 में उक्त योजना के संचालन में अधिकारी/कर्मचारियों के अनुभव का पूर्ण उपयोग करें। तत्समय योजना क्रियान्वयन में आई समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व से कार्ययोजना बनाएं एवं सुधार करें। वर्तमान की तकनीकों एवं नवाचारों का प्रयोग करें।
- आंचलिक अधिकारी मंडी अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि विगत वर्ष में योजना के संचालन में हुई समस्याओं को सुधारें। योग्य मंडी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेवारी देकर उनकी इयूटी लगाएं एवं कृषकों से संवाद कर कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर योजना को सफल बनाएं।
- प्रांगण में प्रातः नीलामी के दौरान भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिव स्वयं उपस्थित रहकर प्रथम नीलामी कराएंगे एवं दिन में कम से कम 05 बार नीलामी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे।
- मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति के नेतृत्वकर्ता हैं। अतः सभी मंडी सचिव किसान संगठनों, जन प्रतिनिधियों, किसानों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, पत्रकारों, हम्मालों एवं आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों से संवाद करें। किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव होने पर उच्च स्तर पर अवगत कराएं।

अंतः समस्त मंडी अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कृषक हित में योजना के क्रियान्वयन में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।


 (कुमार पुरुषोत्तम)
 आयुक्त सह प्रबंध संचालक
 मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/भा.भु.यो./वी.कां.बैठक/अक्टूबर/2025/1595 भोपाल, दिनांक:- 28/10/2025

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

4. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ अधीक्षण यंत्री, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. उपसंचालक/ कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक/ सहायक यंत्री, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर बिंदुवार पालन प्रतिवेदन तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः उपलब्ध कराए।
7. कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
8. भारसाधक अधिकारी/ सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल